भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1081
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024
बुधवार, 9 श्रावण, 1946 (शक)

भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस)

1081 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कितने भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) कार्यशील हैं तथा नए आईआईएस स्थापित करने की क्या योजना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षुओं की उत्तरोत्तर प्रगति को किस प्रकार बढ़ाते हैं;

(ग) आईआईएस के चयन और स्थापना में अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) के निष्कर्ष क्या हैं तथा निजी भागीदारों के चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) आईआईएस द्वारा स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुसंधान शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सृजन पर आईआईएस का अपेक्षित प्रभाव क्या होगा?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने देश में तीन स्थानों अर्थात् मुंबई, कानपुर और अहमदाबाद में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की स्थापना को मंजूरी दी है। आईआईएस की स्थापना के पीछे का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात मौजूदा कौशल संस्थानों से सर्वोत्तम प्रणालियों को सीखकर और आत्मसात करके विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। अभी तक, नए आईआईएस की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन अत्याधुनिक कौशल केंद्रों की संकल्पना विशिष्ट रूप से उच्च शिक्षा के पारंपरिक रूप से पसंदीदा मार्ग के बजाय दसवीं/बारहवीं कक्षा (जैसे आईटीआई/डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के बाद कौशल सीखने के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना और सुविधाएँ लाने के लिए की गई है।

(ख) कौशल इकोसिस्टम की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च-क्रम अर्हता को औपचारिक रूप देने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में एक नियामक निकाय, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने मई 2023 में "व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश" अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) इकोसिस्टम के भीतर शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट प्रगति पथ खोलना, विभिन्न स्तरों और कार्यक्रमों की प्रणालियों के बीच एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना और एक अधिक एकीकृत शैक्षिक ढांचा बनाना है जो व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को संरेखित करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण को पूरा करता है। एनसीवीईटी द्वारा विकसित व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हता के लिए दिशानिर्देश दिनांक 15.5.2023 को अधिसूचित किए गए हैं। कौशल डिप्लोमा को दो प्रकारों अर्थात 10वीं पास तथा 3 वर्षीय डिप्लोमा और 12वीं पास प्लस 2 वर्षीय एडवांस डिप्लोमा में तैयार किया गया है। अब तक, कुल 7 डिप्लोमा अर्हताएं एनएसक्यूएफ से संरेखित और अनुमोदित की गई हैं।

(ग) आईआईएस की स्थापना से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) का गठन किया गया था, जिसमें निजी भागीदारों के चयन के लिए मानदंड और उनका चयन शामिल है। बोली प्रक्रिया (आरएफपी) के माध्यम से आईआईएस-मुंबई और आईआईएस-अहमदाबाद के संबंध में टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट को निजी भागीदार के रूप में चुना गया है। इसने आईआईएस-मुंबई और आईआईएस-अहमदाबाद के संचालन और प्रबंधन के लिए एक गैर-लाभकारी कंपनी अर्थात टाटा इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ स्किल्स (टीआईआईएस) की स्थापना की है। चूंकि आईआईएस-कानपुर के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इसके संचालन के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) और (ङ) निजी उद्योग भागीदारों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को आईआईएस की स्थापना और संचालन में शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्ष, पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थानीय आवश्यकताओं, उद्योग की उभरती जरूरतों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हों।

****